

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 08, बुधवार, शके 1947- जनवरी 28, 2026 Magha 08, Wednesday, Saka 1947- January 28, 2026	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2025

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/160:- विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 43 से 48, 50, 55 एवं 56 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत् शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) विनियम, 2021 (इसके पश्चात् “मूल विनियम” के रूप में संदर्भित) में संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. लघुशीर्षक, प्रयोज्यता तथा प्रारम्भण

(क) ये विनियम, “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामलें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025” कहलायेंगे।

(ख) ये विनियम राज्य में मानित अनुज्ञप्तिधारियों सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों एवं उपभोक्ताओं के लिये प्रयोज्य होंगे।

(ग) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 11 में संशोधन

अ. मूल विनियम के उप-विनियम 11.7(घ)को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“किसी स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन के विरुद्ध कोई भी बकाया देयता, मालिक/ अधिवासी के नामअन्य विद्यमान/नये कनेक्शन से, 30 (तीस) दिवस का नोटिस जारी कर वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता को व्यक्तिगत सुनवाईका अवसर और नोटिस का जवाब दिया जाएगा और उसके पश्चात, नोटिस के जवाब के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आख्यापक आदेश जारी किया जाएगा। आख्यापक आदेश जारी किए बिना कोई विच्छेदन / वसूली प्रभावित नहीं होगी। यदि उपभोक्ता आख्यापक आदेश से पीड़ित है, तो वह उपयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

आ. मूल विनियम के उप-विनियम 11.8 (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :

(ख)”आपूर्ति को पुनःचालू कराने के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा:

(i)	कृषि उपभोक्ताओं के लिये	जैसा कि राज्य कृषि नीति में निर्धारित है
(ii)	एच.टी./आई.एच.टी. उपभोक्ता:	विच्छेदन की तिथि से 2वर्ष के भीतर
(iii)	अन्य के लिये:	विच्छेदन की तिथि से 5 वर्ष के भीतर

ऊपर बताए गए विच्छेदन की संबंधित अवधि की समाप्ति के बाद कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित माना जाएगा। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें स्थायी रूप से

विच्छेदित के लिये वर्गीकृत किया गया है, को उसी परिसर में कनेक्शन वांछित होने पर फिर से आवेदन करना होगा।”

इ.मूल विनियम के उप-विनियम 11.8 (घ) के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :

“बशर्ते कि पुनः कनेक्शन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को, विच्छेदन की तिथि से एचटी/रूइएचटी उपभोक्ताओं के मामले में एक वर्ष तथा अन्य उपभोक्ताओं के मामले में दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नया उपभोक्ता माना जाएगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइन सामग्री हटा ली गई हो, और ऐसी स्थिति में आवेदक को लाइन एवं संयंत्र की लागत वहन करनी होगी।”

3. मूल विनियम की अनुसूची -I में संशोधन

अ. मूल विनियम की अनुसूची-I में विद्यमान अनुसूची 2.1 के ऊपर निम्नलिखित नई अनुसूची-I, 2क जोड़ी जाएगी :

2क: घरेलू एवं अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 किलोवाट तक के भार हेतु कनेक्शन प्रभार, जिनका परिसर 24 घंटे उपलब्ध आपूर्ति वाले तीन-फेज एलटी नेटवर्क से 300 मीटर के भीतर स्थित है, तथा औद्योगिक एवं मिश्रित भार उपभोक्ताओं के लिए, जिनका परिसर 24 घंटे उपलब्ध आपूर्ति वाले तीन-फेज एलटी नेटवर्क से 200 मीटर के भीतर स्थित है।

(i) ओवरहेड लाइन के लिए:

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	जमा की जाने वाली राशि (रु.)	संबंधित विनियम
1	घरेलू	जनजातीय उप-योजना: 750/- रुपये ग्रामीण: <u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 2000/-रुपये शहरी : <u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 3500/-रुपये ग्रामीण एवं शहरी : <u>5 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA तक CD के साथ :</u> एकल फेज / तीन फेज: 3500 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @500 रुपये प्रतिकिलोवाट या 5 किलोवाट से अधिक में उसका अंश। <u>45 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA से अधिक CD के साथ :</u> तीन फेज : 90,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @650 रुपये प्रतिकिलोवाट या 45 किलोवाट से अधिक में उसका अंश ।	6.1
2	अघरेलू	<u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000/-रुपये <u>5 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA तक CD के साथ :</u> एकल फेज /तीन फेज : 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @650 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक) <u>45 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA से अधिक CD के साथ :</u> तीन फेज : 1,00,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @750 रुपये प्रतिकिलोवाट(45 किलोवाट से अधिक)	

3	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था	5,000/- रुपये प्रति कनेक्शन। इसमें लाइन / नेटवर्क लागत शामिल नहीं है।	
4	लघु उद्योग एवम मिश्रित भार,	<u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000/-रुपये <u>5 किलोवाट से अधिक 18.65 किलोवाट तक:</u> तीन फेज : 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @650 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
5	मध्यम उद्योग- एल टीएवम मिश्रित भार (18.65 से 112 कि.वा. एवम /और CD 50 kVAतक	तीन फेज : 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @650 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
6	मध्यम उद्योग- एच टीएवम मिश्रित भार (18.65 से 112 कि.वा. एवम /और CD50 kVAसे अधिक	तीन फेज : 66,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि 5,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @650 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
7	वृहत् उद्योग-एवम मिश्रित भार (112 से 150 कि.वा. एवम /और CD 125 kVAसे अधिक	तीन फेज : 66,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि 5,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @750 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	

(ii) भूमिगत लाइन के लिए:

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	जमा की जाने वाली राशि (रु.)	संबंधित विनियम
1	घरेलू	जनजातीय उप-योजना: 750/-रूपये ग्रामीण: <u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 2000/-रूपये शहरी : <u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 3500/-रूपये ग्रामीण एवं शहरी : <u>5 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA तक CD के साथ :</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @750 रुपये प्रतिकिलोवाट या 5 किलोवाट से अधिक में उसका अंश। <u>45 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA से अधिक CD के साथ :</u> तीन फेज : 90,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @2000 रुपये प्रतिकिलोवाट या 45 किलोवाट से अधिक में उसका अंश ।	6.1
2	अघरेलू	<u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000/-रूपये <u>5 किलोवाट से अधिक 150 kW तक, 50 kVA तक CD के साथ :</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @850 रुपये प्रतिकिलोवाट (5 किलोवाट से अधिक) <u>45 किलोवाट से अधिक 150 किलोवाट तक.</u> <u>50 kVA से ज्यादा CD के साथ :</u> तीन फेज : 1,00,000 रुपये एवं अतिरिक्त	

		राशि @2200 रुपये प्रतिकिलोवाट(45 किलोवाटसे अधिक)	
3	सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था	5,000/- रुपये प्रति कनेक्शन। इसमें लाइन / नेटवर्क लागत शामिल नहीं है।	
4	लघु उद्योग एवम मिश्रित भार,	<u>5 किलोवाट तक:</u> एकल फेज / तीन फेज: 5000/-रुपये <u>5 किलोवाट से अधिक 18.65 किलोवाट तक:</u> तीन फेज : 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @850 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
5	मध्यम उद्योग- एल टीएवम मिश्रित भार (18.65 से 112 कि.वा. एवम /और CD 50 kVAतक	तीन फेज : 5000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @850 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
6	मध्यम उद्योग- एच टीएवम मिश्रित भार (18.65 से 112 कि.वा. एवम /और CD50 kVAसे अधिक	तीन फेज : 66,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि 5,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @2200 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	
7	वृहत उद्योग-एवम मिश्रित भार (112 से 150 कि.वा. एवम /और	तीन फेज : 66,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि 5,000 रुपये एवं अतिरिक्त राशि @2200 रुपये प्रतिकिलोवाट(5 किलोवाट से अधिक)	

	CD 125 kVAसे अधिक		
--	-------------------------	--	--

टिप्पणी:

क. यदि नियमों के अनुसार 11 केवी ऑयल स्विच / आरएमयू (RMU) स्थापित किया जाना है, तो यह आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में 50 केवीए से अधिक अनुबंध मांग (CD) वाले घरेलू/अघरेलू (DS/NDS) कनेक्शनों के लिए रुपये 90,000/- के स्थान पर रुपये 24,000/- तथा रुपये 1,00,000/- के स्थान पर रुपये 34,000/- देय माने जाएंगे। हालांकि, स्विचगियर, एचटी केबल आदि के संबंध में रुपये 10,000/- का निर्धारित पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) निर्धारित है।

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त, किसी भी प्रकार का अन्य पर्यवेक्षण प्रभार देय नहीं होगा।

ग. एलटी/एचटी केबल बिछाने तथा डीपी सेट (DP Set) की स्थापना हेतु मार्ग अधिकार (Right of Way – RoW) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

घ. घरेलू एवं अघरेलू कनेक्शनों के ऐसे परिसर जो 24 घंटे उपलब्ध आपूर्ति वाले तीन-फेज एलटी नेटवर्क से 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं तथा औद्योगिक एवं मिश्रित भार कनेक्शनों के ऐसे परिसर जो 24 घंटे उपलब्ध आपूर्ति वाले तीन-फेज एलटी नेटवर्क से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, उन्हें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रभार वसूल कर जारी किया जाएगा। 150 किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन भी उक्त विनियमों एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार ही जारी किए जाएंगे।

ड. अन्य प्रभार जैसे आवेदन शुल्क, मीटर एवं मीटरिंग उपकरण हेतु प्रतिभूति जमा (Security), सीटी/पीटी सेट, एचटी आपूर्ति के मामले में संयंत्र लागत (Plant Cost) तथा अग्रिम ऊर्जा प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूति (Security) राजस्थान विद्युत

विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के लागू प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

च. यह प्रावधान उन परिसरों पर लागू नहीं होगा जो विकासक/खातेदार द्वारा विकसित कॉलोनियों में स्थित हैं अथवा प्लॉटेड डवलपमेंट में स्थित हैं, जहाँ राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 के विनियम 7.6 के अंतर्गत यथानुपात (प्रो-राटा) प्रभार वसूल किए जा रहे हो।

छ. यह प्रावधान उन बहुमंजिला भवनों के आवेदकों पर लागू नहीं होगा, जिनका विद्युतीकरण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 के विनियम 7.5 (i) तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार अनिवार्य है।

ज. यह प्रावधान निजी औद्योगिक क्षेत्रों के आवेदकों पर भी लागू नहीं होगा, जहाँ विनियम 7.5 के अनुसार विद्युतीकरण अनिवार्य है अथवा जहाँ विनियम 7.6 के अनुसार वास्तविक यथानुपात प्रभार देय हैं।

झ. यदि औद्योगिक कनेक्शनों का सम्बद्ध भार 112 किलोवाट से अधिक है अथवा अनुबंध मांग 50 केवीए से अधिक है, तो ऐसे कनेक्शन एचटी आपूर्ति पर जारी किए जाएंगे। अन्य श्रेणी के कनेक्शनों के मामले में भी, यदि अनुबंध मांग 50 केवीए से अधिक है, तो कनेक्शन एचटी आपूर्ति पर ही जारी किया जाएगा।

ञ. विद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित बहुमंजिला भवनों में, जहाँ अनुमानित डिजाइन मांग 50 केवीए से अधिक है, कनेक्शन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के लागू प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

ट. ऐसे बहुमंजिला भवनों/फ्लैटों के मामले में, जो उन भू-खंडों पर निर्मित हैं जहाँ प्रारम्भ में कम भार का आकलन किया गया था क्योंकि बहुमंजिला भवनों/फ्लैटों पर विचार नहीं

किया गया था, भले ही उनकी अनुमानित डिजाइन मांग 50 केवीए से कम हो, तथा जहाँ फ्लैटेड डवलपमेंट किया गया है और व्यक्तिगत फ्लैट/मंजिल अनेक संस्थाओं को बेची जा रही हैं एवं एक से अधिक कनेक्शन की आवश्यकता है, तो ऐसे कनेक्शन राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध विषय) विनियम, 2021 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

आ. मूल विनियम की अनुसूची-I, 2.1 के शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

2.1 अनुसूची-2क के अंतर्गत न आने वाले आवेदकों के लिए आवेदन के साथ जमा की जाने वाली राशि(विनियम 6 देखें)

इ. मूल विनियम की अनुसूची-I, 2.2 के शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

2.2 अनुसूची-2क के अंतर्गत न आने वाले आवेदकों के लिए वितरण मेन्स/आपूर्ति लाइन के विस्तार हेतु मांग पर जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि (विनियम 7.2 एवं 7.3 देखें)

ई. मूल विनियम की अनुसूची-I, 2.2 (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(क) एलटी आपूर्ति हेतु :

क्र. सं.	उपभोक्ता की श्रेणी	उपरोक्त आइटम 2.1 के अधीन देय राशि के अतिरिक्त जमा करायी जाने वाली राशि(रु.)	संबंधित विनियम
1	घरेलू और अघरेलू (शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण अबादी क्षेत्र में)	300 मीटर से अधिक वितरण मेन्स और/या सेवा लाइन के विस्तार के लिए : क) एकल फेज आपूर्ति के लिये: 150 रुपये प्रति मीटर ख) तीन फेज आपूर्ति के लिये: 225 रुपये प्रति मीटर	7.2 एवं 7.3
2	सार्वजनिक पथ प्रकाश	वास्तविक सामग्री लागत + श्रम और यथा प्रयोज्य उपरी प्रभार	

	व्यवस्था		
3	लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं मिश्रित भार	200 मीटर से अधिक वितरण मेन्स और/या सेवा लाइन के विस्तार के लिए : क) एकल फेज आपूर्ति के लिये: 150 रुपये प्रति मीटर ख) तीन फेज आपूर्ति के लिये: 225 रुपये प्रति मीटर	

टिप्पणी:

1. यदि कनेक्शन विद्यमान एलटी सिस्टम और कमीशन किए जाने वाले नए सब-स्टेशन से व्यवहार्य नहीं है, तो एचटी वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता होगी, यह उपभोक्ता से एकल फेज 11 केवी लाइन के मामले में रुपये 150 प्रति मीटर तथा तीन फेज 11 केवी लाइन के मामले में 225 रुपये प्रति मीटर की दर से वसूल किया जाएगा। तथापि, सब-स्टेशन, यदि कोई हो, की लागत की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।
2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्विस लाइन प्रदान की जायेगी। जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सर्विस लाइन प्रदान नहीं की जाती है तब अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा अनुसूची 2.1 (क) के अनुसार उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी राशि का 25 प्रतिशत क्रेडिट प्रदान करेगा।

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION****Jaipur, December 19, 2025**

No. RERC/Secy/ Reg. 160- In exercise of the powers conferred by sections 43 to 48, 50, 55 and 56 read with section 181 of the Electricity Act 2003 (Act 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf and after previous publications, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021(hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

1. Short title, applicability and commencement

- a) These Regulations shall be called ‘The Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Connected Matters) (Second Amendment), Regulations, 2025.
- b) These Regulations shall apply to distribution licensees including deemed licensees and consumers in the State.
- c) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. Amendment in Regulation 11 of the Principal Regulations

A. The Sub Regulation 11.7(d) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Any outstanding dues against any permanently disconnected connection shall be recoverable from another existing/ new connection in the name of the Owner/ Occupier by serving a notice of thirty (30) days. An opportunity of personal hearing and reply of the notice shall be given to the consumer and thereafter, a speaking order shall have to be issued by the licensee after due consideration of the reply of the notice as well as facts furnished during personal hearing. No recovery shall be affected/ disconnection made, without the issue of speaking order. If the consumer is aggrieved with the speaking order, he shall be at the liberty to approach the appropriate consumer grievance redressal forums. "

B. The Sub Regulation 11.8 (b) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

b) An application for restoration of supply shall be considered:

(i)	For Agriculture Consumers	As prescribed in the State Agriculture Policy
(ii)	HT/EHT consumers	Within 2 years from the date of disconnection
(iii)	For others	Within 5 years from the date of disconnection

A connection shall be treated as permanently disconnected after expiry of the respective period of disconnection indicated above. Such consumers who are classified permanently disconnect consumers shall have to apply a fresh if connections is desired in the same premises.

C. A proviso shall be added below Sub Regulation 11.8 (d) of the Principal Regulations as under:

“Provided that applicant applying for reconnection will be considered as new consumer after expiry of period one year in case of HT/EHT consumers and two years in case of other consumers (other than HT and EHT) from the date of disconnection, if line material is removed by the licensee and has to bear the cost of line and plant.”

3. **Amendment in Schedule-I of the Principal Regulations**

(i) **A new schedule-I, 2A shall be added above existing schedule-I, 2.1 of the Principal Regulations as under:-**

2A. Connection charges up to load of 150 kW to be applicable for domestic and non-domestic applicants whose premise falls within 300 meter of available 24 hour supply three phase LT network and for industrial and mix load applicants whose premise falls within 200 meters of available 24 hour supply three phase LT network.

i) For Overhead line:

Sr. No	Category of consumer	Amount to be deposited (Rs.)	Related Regulation
1	Domestic	Tribal sub plan: Rs. 750/- Rural: <u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 2000/- Urban: <u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs.3500/- Rural & Urban: <u>More than 5 kW upto 150 kW with CD upto 50 kVA:</u> Single Phase / Three phase: Rs. 3500/- plus additional sum @ Rs. 500 per kW or part thereof beyond 5 kW. <u>More than 45 kW upto 150 kW with CD above 50 kVA:</u> Three phase: Rs. 90,000/- plus additional sum @ Rs. 650/- per kW or part thereof beyond 45 kW.	6.1
2	Non-domestic	<u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- <u>More than 5 kW upto 150 kW with CD upto 50 kVA:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 650/- per kW (beyond 5 kW) <u>More than 45 kW upto 150 kW with CD above 50 kVA:</u> Three phase: Rs. 1,00,000/- plus additional sum @ Rs. 750/- per kW (beyond 45 kW)	
3	Public street lighting	Rs. 5,000/- per connection. This does not include line/ network cost.	
4	Small Industry & Mixed load	<u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- <u>More than 5 kW upto 18.65 kW:</u> Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 650/- per kW (beyond 5 kW)	
5	Medium Industry- LT &	Three phase: Rs. 5000 /- plus additional sum @ Rs. 650/- per kW (beyond 5 kW)	

	Mixed load (18.65 to 112 kW and /or CD upto 50 kVA)		
6	Medium Industry- HT) & Mixed load (18.65 to 112 kW and /or CD above 50 kVA	Three phase: Rs. 66,000/- plus Rs. 5000 /- plus additional sum @ Rs. 650/- per kW (beyond 5 kW)	
7	Large Industry& Mixed load (112 kW to 150 kW and /or CD above 125kVA)	Three phase: Rs. 66,000/- plus Rs. 5000 /- plus additional sum @ Rs. 750/- per kW (beyond 5 kW)	

ii) **For Underground line:**

Sr. No .	Category of consumer	Amount to be deposited (Rs.)	Related Regulati on
1	Domestic	Tribal sub plan: Rs. 750/- Rural: <u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 2000/- Urban: <u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs.3500/- Rural & Urban: <u>More than 5 kW upto 150 kW with CD upto 50 kVA:</u> Single Phase / Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 750 per kW or part thereof beyond 5 kW. <u>More than 45 kW upto 150 kW with CD above 50 kVA:</u> Three phase: Rs.90,000/- plus additional sum @ Rs. 2000/- per kW or part thereof beyond 45 kW.	6.1

2	Non-domestic	<u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- <u>More than 5 kW upto 150 kW with CD upto 50 kVA:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 850/- per kW (beyond 5 kW) <u>More than 45 kW upto 150 kW with CD above 50 kVA:</u> Three phase: Rs. 1,00,000/- plus additional sum @ Rs. 2200/- per kW (beyond 45 kW)	
3	Public street lighting	Rs. 5,000/- per connection. This does not include line/ network cost.	
4	Small Industry & Mixed load	<u>Upto 5 kW:</u> Single phase/ Three phase: Rs. 5000/- <u>More than 5 kW upto 18.65 kW:</u> Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 850/- per kW (beyond 5 kW)	
5	Medium Industry- LT & Mixed load (18.65 to 112 kW and /or CD upto 50 kVA)	Three phase: Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 850/- per kW (beyond 5 kW)	
6	Medium Industry- HT & Mixed load (18.65 to 112 kW and /or CD above 50 kVA)	Three phase: Rs. 66,000/- plus Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 2200/- per kW (beyond 5 kW)	
7	Large Industry & Mixed load (112 kW to 150 kW and /or CD above 125 kVA)	Three phase: Rs. 66,000/- plus Rs. 5000/- plus additional sum @ Rs. 2200/- per kW (beyond 5 kW)	

Note:

- 1) In case of 11 kV oil switch / RMU is to be installed as per rule then same shall be provided by applicant and in such case Rs. 24000/- in place of Rs. 90,000/- and 34,000/- in place of Rs. 1,00,000/- to be read for DS/ NDS connections having CD more than 50 kVA, however, Supervision charges fixed @ Rs. 10,000/- will be charged towards switchgears, HT cable etc.
- 2) Apart from above, no supervision charges shall be levied.
- 3) RoW for laying of LT/HT cables and for erection of DP set shall be provided by the applicant.
- 4) The domestic and non-domestic connections premises which exist beyond 300 meter of available three phase 24 hour LT network and industrial and mixed load connections premises which exist beyond 200 meter of available three phase 24 hour LT network shall be released by recovering charges as per applicable provisions of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time. Connections with load more than 150 kW shall be released as per applicable provisions of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.
- 5) Other charges like Application fees, Security for meter and metering equipment, CT/PT set, plant cost in case of HT supply, Security against advanced energy charges shall be applicable as per applicable provisions of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.
- 6) This clause shall not be applicable to premises which exist in colonies developed by developer /khatedar or in plotted development where pro-rata charges are being recovered as per Regulation 7.6 of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.
- 7) This clause shall not be applicable to applicants of multistory buildings whose electrification is mandatory as per Regulation 7.5 (i) of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.

- 8) This clause shall not be applicable to applicants of private industrial areas where electrification as per Regulation 7.5 is must or where actual pro-rata charges as per Regulation 7.6 are applicable.
 - 9) If the connected load of industrial connections is more than 112 kW or contract demand is more than 50 kVA then connections shall be released on HT supply. For other category connections with Contract Demand more than 50 kVA, the same shall be released on HT supply.
 - 10) The connections in multi-story buildings in electrified areas with estimated designed demand more than 50 kVA shall be released as per applicable provisions of RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.
 - 11) Connections in multi-storied buildings/flats which are constructed on plots on which initially lesser load was considered as no multi-storied building/flats were considered even though their estimated design demand is less than 50 kVA, where flatted development is made and individual flats/floor are being sold to multiple entities and more than one connections is required, then such connections shall be released as per the RERC (Electricity supply code and connected matters) Regulations, 2021 and amendment from time to time.
- (ii) The heading of the Schedule-I, 2.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-**
- 2.1 Amount to be deposited with application for applicant not covered under 2A (Refer Regulation 6)
- (iii) The heading of Schedule-I, 2.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:-**
- 2.2 Additional amount to be deposited on demand for extension of distribution mains/ supply line for applicant not covered under 2A (refer Regulations 7.2 & 7.3)

(iv) Schedule-I, 2.2 (a) of the Principal Regulations shall be substituted as under:-

a. For LT supply

Sr . No .	Category of consumer	Amount to be deposited in addition to sum payable under item 2.1 above	Related Clause
1	Domestic and Non-domestic (in urban area and in rural area)	For extension of distribution mains and/or service line beyond 300 mtrs- (a) For single phase supply: Rs. 150/mtr (b) For three phase supply: Rs. 225/mtr	7.2 & 7.3
2	Public street lighting	Actual material cost + labour and overhead charges as applicable	
3	Small Industry, Medium Industry & Mixed load	For extension of distribution mains and/or service line beyond 200 mtrs- (a) For single phase supply: Rs. 150/mtr (b) For three phase supply: Rs. 225/mtr	

- Note:** 1) If the connection is not feasible from existing LT system and new sub-station to be commissioned then extension of HT distribution mains required, it shall be recovered from the consumer @ Rs. 150/ meter in case of single phase 11 KV line and @ Rs. 225 / meter in case of three phase 11 KV line. However, the cost of sub-station required, if any shall be borne by the Nigam.
- 2) Service line shall be provided by the Nigam. Where service line is not provided by the Nigam, then the Nigam shall provide the credit of 25% of amount deposited by the consumer as per Schedule 2.1 (a) above to the consumer.

By Order of the Commission,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।